कृषि-मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी

3142. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:
श्री राम जेठमलानी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अगस्त, 1992 के दैनिक "स्टेटस्मैन" में "स्टेटस् कर्ब्स आन आउट साइडर्स अनकांस्टीट्यूशनल सेज संगमा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके कृषि-मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 20/- रुपये निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि-मजदूरों की दिहाड़ी के रूप में इतनी नगण्य राशि निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार दिहाड़ी की निर्धारित राशि बढ़ाने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 12-8-1992 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में अकुशल कृषि श्रमिकों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित कर विभिन्न क्षेत्रों के लिये क्रमशः 26/- रु०, 28/- रु० तथा 33/- रु० प्रतिदिन कर दिया है। अधिसूचना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से जुड़े महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED AND UNSTARRED QUESTIONS SET FOR THE 15TH DECEMBER 1992*

नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारी

†301. **श्री राम नरेश यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) या सरकार ने नई आर्थिक नीति के कारण आगामी कुछ वर्षों में फैलने वाली बेरोजगारी को दूर करने के लिए दिए गए सुझावों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) क्या इस नई आर्थिक नीति में भविष्य में कुछ संशोधन किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) नई आर्थिक नीति से कोई गंभीर बेरोजगारी होने की संभावना नहीं है। नई नीति का मूल उद्देश्य भारतीय उत्पादनकारी क्षेत्रों, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र को प्रौद्योगिकीय समुन्नतता के माध्यम से लागत प्रभावी और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बनाना है। विश्व भर में प्रोद्योगिकीय समुन्नतता आवश्यक रूप से श्रम की बचत, अर्थात् उत्पाद को प्रति इकाई पर कम से कम श्रमनिवेश की रही है। नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत परिकल्पित संरचनात्मक सुधारों के लिए विद्यमान श्रम बल का कुछ श्रेत्रीय पुनः आवंटन जरूरी हो सकता है जिससे इसके क्रियान्वयन के प्रारम्भिक वर्षों में रोजगार संवृद्धि धीमी हो सकती है। दीर्घावधि में उच्च आर्थिक संवृद्धि के फलस्वरूप रोजगार में अधिक वृद्धि होगी, जो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य है। योजना आयोग ने पहले से ही ऐसे क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिनमें रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं और अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को तैयार किया गया है। रोजगार पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव का लगातार मूल्यांकन और पुनरीक्षण किया जाता है। सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि नई आर्थिक नीत के परिणामस्वरूप मौजूदा कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होगी।

Development of Tourism in Karnataka

*302. SHRI K.R. JAYADEVAPPA:
SHRI GUNDAPPA KORWAR:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government of Karnataka have sent a proposal to the Central Government for a comprehensive and integrated project for the development of infrastructural facilities for tourists at an estimated cost of Rs. 110.60 crores with a provision of Japanese assistance during the year 1992-93; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI

* The sitting of the Rajya Sabha on Tuesday, the 15th December, 1992 was cancelled. Answers to Questions put down in the lists of that day were laid on the table of the House on Wednesday, the 16th December, 1992.

MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) The State Government of Karnataka have submitted a proposal with an estimated cost of Rs. 110.60 crores for the development of infrastructural facilities at selected tourist spots in Karnataka for financial assistance from the Government of Japan. The proposal includes augmentation and strengthening of infrastructural facilities like roads, electricity, water supply, telecommunications, etc.

Directors of Mogaveera Co-operative Bank, Bombay

*303. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRI G..G. SWELL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of the present Directors of the Mogaveera Co-operative Bank Limited, Bombay;

(b) when each of them was appointed as Director and for what period;

(c) whether it is a fact that the term of the present Directors had expired last year;

(d) if so, what are the reasons for their elections not being held in the last general body meeting;

(e) what are the total bed debts of this bank;

(f) whether Government and the Reserve Bank of India are aware that the Chairman and Directors have advanced loans to bogus and non-existant companies;

(g) if so, what action Government' R.B.I. have taken;

(h) whether it is fact that the present Chairman is involved in a fraud involving lakhs of rupees; and

(i) if so, the details thereof and what action the R.B.I./Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The names of the Directors of Mogaveera Cooperative Bank, Bombay as reported in August, 1992 were as under:—

1. Shri G.K. Karkera.
2. Shri S.P. Bangera.
3. Shri S.S. Salian (Resigned).
4. Prof. B.N. Amin.
5. Shri S.K. Salian.
6. Shri D.H. Kotian.
7. Shri K.R. Puthran.
8. Shri B. M. Udyawar.
9. Shri M.K. Kotian.
10. Shri K.K. Salian(Expired)
11. Shri R.C. Puthran.
12. Shri H. Dayanand (Staff Represenative)

(b) The Board is elected for a tenure of five years as provided in the Bye-laws.

(c) and (d) The elections of all Cooperative societies including coooperative banks arc held according to provisions of State Cooperative Acts & Rules and Bye-laws of the particular society under the overall guidelines and supervision of registrar of Cooperative Societies of the State;

(c) As per the inspection of bank conducted by Reserve Bank of India (RBI) during January - Februrary, 1992 with reference to its financial position as on 27.9.1991, the estimated bad and doubtful amounted to Rs. 82.55 lakhs

(f) and (g) No such instances were noticed during the course of inspection of the bank conducted during January - February, 1992.

(h) and (i) No instance was observed during the course of the inspection by RBI which indicated the involvement of the present Chairman of the bank in any fraud case.